



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांक-724-0/कु0का0/2025

दिनांक- 03/09/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक

समस्त सम्बद्ध (विधि पाठ्यक्रम संचालित) महाविद्यालय,
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

विषय:-विधि पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विधि पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु भारतीय विधिक सेवा अधिनियम-1961 के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा भारत में विधि पाठ्यक्रम के लिए नियामक प्राधिकरण है, इस प्रक्रिया का पालन विधि पाठ्यक्रम संचालित प्रत्येक महाविद्यालय को करना होता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्गत किये जाने वाला विस्तरण (Extension) पत्र की प्रमाणित छायाप्रति 15 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रवेश/परीक्षा के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

01. निजी सचिव, कुलपति को, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव